संख्याः– SD / XXVII (1) / 2010

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 19 जनवरी,2010

विषयः–12वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2009–10 के लिए समस्त क्षेत्र पंचायतों को द्वितीय किश्त हेतु संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों वित्तीय वर्ष 2009–10 की द्वितीय किश्त हेतु कुल धनराशि रू0 48600000.00 (रू0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– (1) संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा।

(2) संक्रमित की जा रही धनराशि से क्षेत्र पंचायतें अन्तर ग्राम पंचायतीय पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण पर व्यय करेगी। प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागत का सबसे व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा वसूल करना चाहिए।

(3) संक्रमित धनराशि से विकास सम्बंधी निर्माण कार्य कराए जा सकेंगे। 12वीं वित्त आयोग ने अपेक्षा की है कि पंचायती राज संस्थाओं को इस धनराशि का उपयोग सेवाएं प्रदान करने हेतु किया जाना चाहिए, जैसे–जलापूर्ति तथा स्वच्छता। पंचायतों को स्वजलाधारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

(4) क्षेत्र पंचातयों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि कोषागार से आहरण हेतु बिल जिला पचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। जिला पचायत राज अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित धनराशि ट्रेजरी चैक/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को बिलम्बतम 15 दिनों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) संक्रमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2010 तक किया जाना है। इसके बाद उपयोग अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(6) संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(7) निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी तथा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बगैर कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोग प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त विभाग को किये गये कार्य का विवरण संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा और तभी अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(8) उपयोगिता प्रमाण–पत्र खण्ड विकास अधिकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करेगें। प्रमाण–पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम, व्यय की धनराशि सहित संलग्न प्रारूप पर) भी भेजना होगा।

(9) संकमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थायें–197–विकास खण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–बारहवाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा। रू0 47876659 (चार करोड़ अठहत्तर लाख छिहत्तर हजार छः सौ उनसठ मात्र) की धनराशि बजट प्राविधान से तथा रू0 723341 (सात लाख तेईस हजार तीन सौ एक्तालीस मात्र) की धनराशि संलग्नक बी0एम0–15 के अनुसार वहन की जायेगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

18/1/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

संख्या 51(1)/(XXVII (1)/2010, तददिनांकः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्पलेक्स नई दिल्ली।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

18/1/2010

(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: 50 /XXVII(1)/2010 दिनांक: 19 जनवरी,2010 का संलग्नक।

12वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु देय अनुदान की द्वितीय किश्त का संकलन।

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	द्वितीय किश्त (धनराशि रू0 में)
1	2	3
1–अल्मोड़ा	भैसियाछाना	166943
	भिकियासैण	247562
	चौखुटिया	295521
	चौलादेवी	608625
	द्वाराहाट	365533
	हवलबाग	338401
	लमगड़ा	404216
	सल्ट	520360
	स्याल्दे	415978
	ताकुला	223969
	ताड़ीखेत	566641
योग:–		**4153749**
2–बागेश्वर	बागेश्वर	614695
	गरूड़	288173
	कपकोट	569067
योग:–		**1471935**
3–चमोली	दशोली	349739
	देवाल	275014
	गैरसैण	542169
	घाट	254233
	जोशीमठ	759216
	कर्णप्रयाग	464578
	नारायणबगड़	257214
	पोखरी	309467
	थराली	248610
योग:–		**3460240**
4–चम्पावत	बाराकोट	155362
	चम्पावत	623823

19/1/2010

12वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु देय अनुदान की द्वितीय किश्त का संकमण।

	लोहाघाट	201117
	पाटी	270900
योग:–		**1251202**
5–देहरादून	चकराता	509879
	डोईवाला	683486
	कालसी	523849
	रायपुर	700903
	सहसपुर	871581
	विकासनगर	693769
योग:–		**3983467**
6–हरिद्वार	बहादराबाद	1919192
	भगवानपुर	1011944
	खानपुर	311844
	लक्सर	613211
	नारसन	862385
	रुड़की	744081
योग:–		**5462657**
7–नैनीताल	बेतालघाट	305100
	भीमताल	243795
	धारी	152253
	हल्द्वानी	763193
	कोटाबाग	244961
	ओखलकाण्डा	400104
	रामगढ़	266125
	रामनगर	389949
योग:–		**2765480**
8–पौड़ी	बीरोंखाल	757404
	दुगड्डा	1498356
	द्वारीखाल	918100
	एकेश्वर	459572
	कल्जीखाल	589138
	खिर्सू	312665
	कोट	429546
	लैंसडाऊन	595856
	नैनीडाडा	751323
	पाबो	608852
	पौड़ी	378768

12वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु देय अनुदान की द्वितीय किश्त का संकलन।

	पोखड़ा		305128
	रिखणीखाल		561364
	थलीसैण		1026141
	यमकेश्वर		929477
योग:–			**10121690**
9–पिथौरागढ़	बेरीनाग		480883
	धारचूला		695568
	डीडीहाट		194404
	गंगोलीहाट		576843
	कनालीछीना		269354
	मुनाकोट		284923
	मुनस्यारी		791802
	पिथौरागढ़		273978
योग:–			**3567755**
10–रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि		759307
	जखोली		375569
	ऊखीमठ		393870
योग:–			**1528746**
11–टिहरी गढ़वाल	भीलंगना		1292579
	चम्बा		349403
	देवप्रयाग		417220
	जाखणीधार		276170
	जौनपुर		567618
	कीर्तिनगर		258863
	नरेन्द्रनगर		311113
	प्रतापनगर		302951
	थौलधार		278382
योग:–			**4054299**
12–ऊधमसिंह नगर	बाजपुर		434534
	गदरपुर		358480
	जसपुर		407503
	काशीपुर		310800
	खटीमा		1055858
	रूद्रपुर		431761
	सितारगंज		1108926
योग:–			**4107862**
13–उत्तरकाशी	भटवाडी		499590

12वों वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु देय अनुदान की द्वितीय किश्त का संक्रमण।

	चिन्यालीसौड		380026
	डुण्डा		347698
	मोरी		411111
	नौगॉव		942379
	पुरोला		170114
योग–			**2670918**
महायोग:–			**48600000**

'(रू० चार करोड छियासी लाख मात्र)

18/1/2010

(एल०एम० पन्त)
सचिव, वित्त।

प्रपत्र बी0एम0–15 पुनर्विनियोग विवरण पत्र
(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर–178 में है)

नियंत्रक अधिकारी–प्रमुख सचिव, वित्त

प्रशासनिक विभाग– वित्त विभाग

अनुदान संख्या:– 07

(धनराशि हजार में)

बजट प्राविधान एवं लेखाशीर्षक जिससे धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है।	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित किया जानी है तथा धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–196– ग्राम पंचायतें–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–167500	163206	0	4294	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02 पंचायती राज संस्थाएं–197– विकासखण्ड स्तरीय पंचायत–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं–0102–बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता–97200	98000	166700	जिला पंचायतों को समनुदेशन के भुगतान हेतु।
167500	**163206**	**0**	**4294**	**97200**	**98000**	**166700**	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

18/1/2010
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त

संख्या–504/XXXVII(1)/2010 तद्दिनांक:–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
18/1/2010
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त